05/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता की आराजी है। प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी के सुविधा एवं संतुलन की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसे में रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन किये जाने पर वाद विवादित बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को पाबंद किये जाते हैं कि मौजा जीठ में खाता सं. 877 ख.सं. 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2464, 2470, 2471, 2472, 2473 रकबा 19.10 बीघा व खाता सं. 340 ख.सं. 2479, 2480 का रकबा 5.12. बीघा भूमि में दोनों पक्ष मूल वाद के फैसले तक अतिक्रमण, निर्माण कार्य न करें न अन्य किसी से करावे। वादग्रस्त भूमि को विक्रय अथवा बक्शीस न करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली में मूल वाद के फैसले तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा